सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका

उत्तराखण्ड सरकार

वर्ष – 2024

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित

(केवल शासकीय प्रयोग हेतु)

3/30 शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून

फोन :– 0135–2974340

ई–मेल: 12electionauthority@gmail.com

वेबसाइट : www.ukcea.in

सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका 2024

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	निर्वाचन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं	2–3
3	निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण	4–5
4	निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति एवं निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन	5
5	नामांकन शुल्क	6
6	सहकारी समिति के सदस्य जो मतदान में भाग ले सकते हैं	6
7	अनहर्ता	7, 8, 9
8	समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक का उत्तरदायित्व	9
9	निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य	10–14
10	सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन	14
12	निर्वाचन का रोका जाना एवं पुनः प्रारम्भ किया जाना	15
13	निर्वाचन हेतु आचार संहित एवं प्रभाव, अधिकारी एवं कर्मचारी पर नियन्त्रण, प्राधिकरण का विनिश्चय, प्राधिकरण के दिशा–निर्देश लागू होना	16
14	निवार्चन वाद	17
15	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 संशोधन नियम 28(2) 20.7.2018	18–19
16	नियम 442 का संशोधन 11.2.2019	20
17	मतदान हेतु निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का विवरण।	21
	चेक पाइंटस	22
	परिशिष्ट–1	22–23
	परिशिष्ट–2	24
	परिशिष्ट–3	25
18	परिशिष्ट–4	26
19	परिशिष्ट–5 वर्णमाला	27

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियिम 2003 के अन्तर्गत गठित सहकारी समितियों का अन्तिम प्राधिकार समिति के सामान्य निकाय में एवं सहकारी समितियों के प्रबन्धन का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत समिति के प्रबन्ध कमेटी में निहित किया गया है, जो सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा अधिनियम / नियामवली एवं समिति की उपविधियों के अन्तर्गत गठित/निर्वाचित की जाती है। 97 वां संविधान संशोधन के पश्चात् उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वतन्त्र/निष्पक्ष निर्वाचन हेतु प्राधिकरण का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियिम 2003 में किये गये संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2013 द्वारा धारा 29 में संशोधन करते हुये प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन किये जाने का प्राविधान किया गया है।

सहकारी समितियों के निर्वाचन को विनियमित किये जाने हेतु प्राधिकरण के प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 का प्रख्यापन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 27, जून 2018 को कर दिया गया है। तत्पश्चात् नियम 28 (2). 442 संशोधन भी किया गया है।

सहकारी समितियों के निर्वाचन को निष्पक्ष एवं नियमसंगत ढंग से सुचारु रुप से सम्पादित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियिम 2003 एवं उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण धाराओं एवं नियमों का संज्ञान, निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका 2019 प्रकाशितं की जा रही है।

स्पष्टीकरण : – यदि इस मार्गदर्शिका में उल्लिखित कोई बिन्दु उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियिम 2003, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 426 से 458 निर्वाचन सम्बन्धी नियम तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के असंगत अथवा भिन्न हो तो ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली एवं निर्वाचन नियमावली के सुसंगत प्राविधान यथा संशोधित ही प्रभावी माने जायेंगे। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका उत्तराखण्ड की सभी प्रकार की सहकारी समितियों के सामायिक/प्रजातांत्रिक/पारदर्शी निर्वाचन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

(रमिन्द्री मन्द्रवाल)
सचिव

(हंसा दत्त पाण्डे)
अध्यक्ष

1–निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिभाषाएंः–

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से 'उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' अभिप्रेत है;

(ग) ''सहकारी नियमावली'' से उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 अभिप्रेत है;

(घ) ''निर्वाचन'' सेः–

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति अथवा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन अभिप्रेत है,

(ड.) ''मतदाता'' से कोई ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि अभिप्रेत है जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा–34 के अधीन नाम निर्दिष्ट या सहकारी समिति के नियम–470 के अधीन सहयोजित या नियम–471 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिए तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हो;

(च) **"मतदाता सूची"** से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः–

(1) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों / सदस्यों की सूची;

(2) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में,सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी निर्वाचित, सहयोजित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची–

(3) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहां से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता हो, सदस्यों की सूची–

(छ) ''उम्मीदवार'' से अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करता है–

(1) प्रतिनिधि के रूप में, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में,

(3) सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के रूप में;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' ''अनुसूचित जनजाति'' और ''नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों'' से जो उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है अभिप्रेत;

(झ) ''मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के संयुक्त निबन्धक/मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तराखण्ड अथवा ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) ''जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट) "जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के ''जिला सहायक निबन्धक'' सहकारिता अथवा ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो:

(ठ) "निर्वाचन अधिकारी'' से राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी ऐसे समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

1–निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिभाषाएं:–

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से 'उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' अभिप्रेत है;

(ग) ''सहकारी नियमावली'' से उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 अभिप्रेत है;

(घ) ''निर्वाचन'' से:–

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति अथवा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन अभिप्रेत है,

(ड.) ''मतदाता'' से कोई ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि अभिप्रेत है जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा–34 के अधीन नाम निर्दिष्ट या सहकारी समिति के नियम–470 के अधीन सहयोजित या नियम–471 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिए तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हो;

(च) "मतदाता सूची" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:–

(1) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों / सदस्यों की सूची;

(2) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में,सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी निर्वाचित, सहयोजित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची–

(3) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहां से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता हो, सदस्यों की सूची–

(छ) ''उम्मीदवार'' से अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करता है–

(1) प्रतिनिधि के रूप में, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में,

(3) सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के रूप में;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' ''अनुसूचित जनजाति'' और ''नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों'' से जो उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है अभिप्रेत;

(झ) ''मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के संयुक्त निबन्धक/मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तराखण्ड अथवा ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) ''जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट) ''जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के ''जिला सहायक निबन्धक'' सहकारिता अथवा ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो:

(ठ) ''निर्वाचन अधिकारी'' से राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी ऐसे समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड) ''सहायक निर्वाचन अधिकारी'' से निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिए जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "मतदान अधिकारी'' से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित है;

(ण) "सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक'' से ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्यवाही का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त) ''चुनाव चिन्ह'' से प्राधिकरण द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवारों के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह अभिप्रेत है;

(थ) "निर्वाचन क्षेत्र'' से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है. जहां से निर्दिष्ट संख्या में निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय;

(द) ''निर्वाचन स्थल'' से समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल अभिप्रेत है;

(ध) "मतदान स्थल'' से समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल अभिप्रेत है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) ''निर्वाचन वाद'' से समिति के निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद अभिप्रेत है;

(प) 'परिवार' का तात्पर्य आश्रित पिता, आश्रित माता, आश्रित अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा/तलाकशुदा आश्रित बहन से है;

2– इस नियमावली में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और सहकारी नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

2–निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण

1– प्राधिकरण द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिये निर्वाचन तिथियां अधिसूचित किए जाने के पश्चात सम्बन्धित समितियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के अध्याय 3 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन की जायेगी (नियम–23)

2– प्रदेश की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, जो किसी भी विभाग यथा सहकारिता, गन्ना, दुग्ध, आवास, रेशम, मत्स्य, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग में पंजीकृत हों, के क्षेत्र अवधारण का उत्तरदायित्व सहकारिता विभाग के जिला सहायक निबन्धक, सहकारिता / जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी का है।

इसी प्रकार जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों के क्षेत्र अवधारण की कार्यवाई सहकारिता विभाग के संयुक्त निबन्धक / मण्डलीय उप निबन्धक सहकारी समितियां/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी। (नियम–24)

राज्य स्तरीय / शीर्ष सहकारी समिति की दशा में क्षेत्र अवधारण की कार्यवाई प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। (नियम–25)

3– क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि सहकारी समिति द्वारा प्राधिकरण द्वारा नियत किया गया अवधारण शुल्क जमा कर दिया गया हो। (नियम–58) कृपया प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों के लिए नियत किये गये अवधारण शुल्क से सम्बन्धित सूचना जो परिष्टि–1 पर स्थित है अवलोकनीय है।

4– सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अधोलिखित का उल्लेख करते हुये अनन्तिम क्षेत्र अवधारण किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित कर सात दिन के भीतर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगीः– पेपर में दिनांक व समय दिया जायेगा।

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा,
(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार,
(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये आवंटित स्थानों की संख्या,
(घ) क्षेत्र का चिह्नांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्या:
प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा।

5– सामान्य निकाय के गठन हेतु क्षेत्र निर्धारण करते समय उत्तराखण्ड सहकारी सिमति नियमावली 2004 के नियम 82 (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के संगत अधिकतम 100 प्रतिनिधियों हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन में किसी भी वर्ग विशेष के लिए स्थान आरक्षित नहीं किये जायेंगे।

6– प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु क्षेत्र अवधारणा की कार्यवाही करते समय **निर्वाचन नियमावली (यथा संशोधित 2024)** के नियम 28 के संगत आरक्षित किये जायेंगे, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये, तथा प्रबन्ध कमेटी में कुल स्थान का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिये होंगे।

परन्तु प्रारम्भिक सहकारी समितियों में सभापति के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला सहायक निबन्धक द्वारा समितियों को उनके वर्गों के अन्तर्गत यथा पैक्स, श्रम, आवास, रेशम, मत्स्य, उद्योग, पशुपालन आदि अन्य में वर्गीकृत करते हुये समिति

के नामों को हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक आरक्षित किये जायेंगें, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो।

इसी प्रकार जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों के प्रबन्ध कमेटी में आरक्षण का निर्धारण, समिति के क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही के दौरान सहकारिता विभाग के सम्बन्धित संयुक्त निबन्धक/मण्डलीय उप निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा की जायेगी।

परन्तु जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों में सभापति के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण द्वारा अथवा प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार आरक्षित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में प्रबन्ध कमेटी तथा अध्यक्ष पद हेतु उपरोक्तनुसार आरक्षण का निर्धारण, प्राधिकरण द्वारा अथवा प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

7— निर्वाचन क्षेत्र का नाम प्रत्येक दशा में हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा, जिससे निर्वाचन नियमावली —2018 के नियम 28 के संगत चक्रानुकम में स्थान आरक्षित किया जाना सम्भव हो सके।

8— अनन्तिम अवधारण में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/ बारहवें / तेरहवें दिन जैसा की अनन्तिम अवधारण में उल्लिखित किया गया हो, में किया जायेगा, तथा पेपर प्रकाशन में तिथि व समय दिया जायेगा।

9— पारदर्शिता के संगत निर्वाचन नियमावली के नियम 27 (4)(क) के प्राविधानानुसार सुनवाई के पश्चात् सम्बन्धित पंजिका पर आपत्तिकर्ता एवं क्षेत्र अवधारण करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये जायेंगे।

10— प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुये किये गए अन्तिम अवधारण को पन्द्रहवें दिन प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

3— निर्वाचन अधिकारी के नियुक्ति एवं निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन—

1— निर्वाचन नियमावली—2018 के नियम—8 एवं नियम—30 के प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किये जाने पर उस जिले, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थित है. के जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

कोई ऐसा अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो उस विभाग की सहकारी समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो।

2— आवश्यक होने पर निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन मतदान अधिकारी के रुप में किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है।

3— सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी / गणना अधिकारी अपने मूल विभाग के बजट से यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

4— जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों की ऐसी सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उनसे सम्बन्धित जनपद में है, के निर्वाचन से सम्बन्धित, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम नियम—33 (ख) के अनुसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात् एवं निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित करेगा।

5— समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करे।

यह भी आवश्यक होगा कि उक्त सूचना प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित विकास खण्ड, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय एवं राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति मे निबन्धक तथा प्राधिकरण के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित किया जाना अपरिहार्य होगा।

4–नामांकन शुल्कः–

1– कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित शुल्क देकर नाम–निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र–ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता हैः– (नियम–39 (1))

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति मेंः–

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	पाँच सौ रूपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु–	दो सौ रूपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में–

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु–	एक हजार रूपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	दो हजार रूपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु –	पाँच सौ रूपये

(ग) राज्य स्तरीय / शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति मेंः–

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु –	दो हजार रूपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु–	पाँच हजार रूपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु –	एक हजार रूपये

(2) उपनियम (1) में निर्धारित शुल्क की धनराशि, प्राधिकरण द्वारा नियत बैंक खाते अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करके प्रपत्र 'ट' एवं सम्बन्धित शुल्क की रसीद अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कर नामांकन प्रपत्र उक्त रसीद के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नामांकन शुल्क एवं अन्य मदों से प्राप्त धनराशि, प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियत किये गये बैंक खाते में जमा कर उसका विवरण एवं प्रमाण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

5–सहकारी समिति के सदस्य जो मतदान में भाग ले सकते हैं–

1– उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–18 के प्रावधानानुसार सहकारी समिति के सदस्य निम्नप्रकार के हो सकते हैंः–

(1) साधारण सदस्य
(2) नाममात्र सदस्य
(3) सम्बद्ध सदस्य

धारा 20 के अनुसार प्रत्येक सदस्य की समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, केवल एक मत देने का अधिकार है। (नामात्रिक अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं हैं।)

2– निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम–12 (क) के अनुसार निर्वाचन की तिथि के 45 दिन पूर्व समिति के सदस्य बने साधारण सदस्य मतदान का अधिकार रखते हैं।

3– ऐसी सहकारी समिति जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अवक्रमित की गई हो, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

4– प्रत्येक मतदाता को मतदान किये जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा नियत् किये गये अभिलेखों, में से किसी एक अभिलेख से अपने पहचान के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होगा।(परिशिष्ट–3)

6—अनर्हता

1— प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अनर्हता निर्वाचन नियमावली के नियम 47 में उल्लिखित हैं, जो अधोलिखित हैं—

47— (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि—

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत मन का हो;

(घ) उसे, प्राधिकरण की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्ध अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ) वह या प्राधिकरण की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें;

(छ) वह सरकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

परन्तु यह कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते है;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

परन्तु यह कि, इस खण्ड के उपबन्ध उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 473 के उप नियम 5 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होगें;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो—

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिए गए ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाकीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि—निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जाएगा कि उसने एक शीर्ष सहकारी समिति, एक केन्द्रीय सहकारी समिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्ति कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उत्तराखण्ड को–आपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यदि वह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रूपये से कम हो गयी हो;

(द) प्राधिकरण की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझकर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरूद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो।

<u>उत्ताराखण्ड शासन अधिसूचना संख्या–222245/**xi**–1/2024–7(1)/2012 दिनांक 04 जुलाई, 2024 द्वारा नियम संख्या–47 (1) (ध) के पश्चात् निम्न प्रकार बढाया गया:–</u>

(न) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो।

(प) ग्रम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत अथवा अन्य किसी स्थानीय निकाय, संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो जाय।

(फ) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचित या आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आशिंक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो।

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति द्वारा सहकारी नियमावली के नियम 426 या नियम 460 या नियम 461 या अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन संगठित प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना इस नियम के अधीन अवधि की संगणना करने के लिये नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि कोई सदस्य जो लगातार कम से कम पांच सहकारी वर्ष तक पद पर न रहा हो, (अर्थात वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न रहा हो) उस समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य से रूप में निर्वाचन या आमेलन या नाम निर्देशन के लिय पुनः पात्र हो जायेगा।

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा;

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाए, आमेलन या नाम–निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी;

(क) खण्ड ज में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होगी जिसके सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता दोष सिद्धि के अधीन अर्थदण्ड देने, या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात समाप्त हो जाएगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बन्दियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ). (झ), (ङ) व (ध) लागू नहीं होगें।

2– **सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के अनर्हता–** कोई भी सहकारी समिति, समिति के प्रतिनिधि के रूप में, किसी दूसरी सहकारी समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी, जो निर्वाचन नियमावली के नियम–47 (1) के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ). (ज्ञ). (ट), (ङ), (ढ), और (ण) में उल्लिखित अनर्हता रखता हो।

7–सहकारी समिति के सचिव / प्रबन्ध निदेशक के उत्तरदायित्व

1– निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 32 एवं 33 की अपेक्षानुसार निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना का प्रदर्शन किया जाना।

2– सहकारी समिति अधिनियम/नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा निर्वाचन नियमावली के नियम–12 एवं 34 के अनुसार अनन्तिम मतदाता सूची तैयार कर यथासमय निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।

3– जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी अथवा. प्राधिकरण एवं उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वांछित समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराया जाना।

4– निर्वाचन नियमावली के नियम–44(8) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेखों की अभिरक्षा किया जाना।

8–निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

1– सहकारी समिति के सचिव / प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वाचन नियमावली के नियम 12 एवं 34 के प्राविधानों के अनुसार तैयार की गयी अनन्तिम मतदाता सूची, जो उसके द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी को, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उप कार्यालय / शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

2– अनन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुना जायेगा और उसका निस्तारण करते हुए अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी। **(नियम–36)**

3– अन्तिम मतदाता सूची जो निर्वाचन–क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निस्तारण करते हुए तैयार की गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए उसे निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यकतानुसार समिति के उप कार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रू0 10 प्रति पृष्ठ अथवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/ शाखा से प्राप्त की जा सकेगी। **(नियम–37)**

4– अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायीजायेगी। **(नियम–38)**

5– समिति के निर्वाचन की कार्यवाई निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन नियमावली के नियम 40 से 45 के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न की जाएगी जो अधोलिखित है–

40– (1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति–

क– मतदान के लिए पात्र न हो,

ख– अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र 'ट' में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जायेगी।

(3) उम्मीदवार अपना नाम निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र 'ट' की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नाम–निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अर्ह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगी:–

(क) उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा;

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात रजिस्टर में अन्तिम नाम–निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पडी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम–निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करेगा। नाम–निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

6) निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विनिर्दिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदक परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(7) नाम–निर्देशन की परिनिरीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी–

(क) नाम–निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समनुवर्ती प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है।

(ख) जहां आवश्यक हो, वहां पर निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाये।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चिय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार किया जाय, वह 10 रूपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नगद जमा कर अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्तकर सकता है।

(9) नाम–निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहां निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन वापस लेने के पश्चात नाम–निर्देशन को अन्तिम रूप दे दे, वहां पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यदि विधिमान्य नाम निर्देशन की संख्या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(11) अन्तिम नाम–निर्देशनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम उनके अपने–अपने चिन्ह और नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जायेगी।

(सहकारी समितियों के निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चुनाव चिन्हों के लिए परिशिष्ट–4 अवलोकनीय है।)

41– प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

42– कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है या निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

43–(1) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को उन्हें सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नियत समय एवं दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जो प्राधिकरण के द्वारा मुद्रित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित होगा इसमें एक

खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह (**X**) अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका–पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलाका–पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रॉस का चिन्ह (**X**) लगायेगा और तदोपरान्त शलाका–पत्र को गुप्त रूप से शलाका पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है. किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका–पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए दस रूपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जांच करेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नहीं होती है, तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका–पत्र देगा, जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द 'आपत्तिकृत मत' पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका–पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका–पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका–पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है. गुप्त रूप से क्रॉस का चिन्ह (**X**) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शलाका–पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात, शलाका–पत्र के लिए आवेदन करता है तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में समाधान करने के पश्चात एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द "निविदत्त शलाका–पत्र" पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शलाका–पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन शलाका–पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका–पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह (**X**) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका–पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत का प्रयोग किए जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा और मतदान के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किए गए मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जाएगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी में शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न होने की स्थिति में टिप्पणी करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में रखा जाएगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जाएगा।

44– (1) (क) मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतों की गणना की जाएगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो, मत पेटियाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बन्द कर दी जाएगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जाएगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहे, लगा सकता है।

(ख) निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जाएगी जब कुल पड़े मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों के मतो की संख्या बराबर हो जाए।

(2) कोई शलाका–पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि–

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान / स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हो।

(3) यदि किसी शलाका–पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतो की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चय पर्चा डालकर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एवं आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पढ़ा न जा सके, शलाका–पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवाएगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(6) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जहां पर उचित समझे प्रदर्शित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०, हल्द्वानी एवं अन्य संस्थाओं जिनकी शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जाएगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, प्राधिकरण या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जाएगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका–पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्राधिकरण को निर्दिष्ट न किया जाए तो दो माह तक उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायालय में निर्वाचन सम्बन्धी याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसे नष्ट कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभिलेखों को नष्ट किए जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जाएगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में प्राधिकरण जनपद की सभी अथवा किसी वर्ग या वर्गों या किसी विशिष्ट समिति की मत गणना अन्य स्थान पर कराने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना प्राधिकरण द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।

9–सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन–

45– (1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणां के पश्चात सभापति / उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्धारित दिनांक एवं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा ऊपर लिखित उपबन्धों में उल्लिखित की गयी है।

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएगें।

(3) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्य, अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेगें:

परन्तु यह कि जहां किसी दुग्ध उत्पादक समिति के किसी सामान्य निकाय में किसी अन्य दुग्ध उत्पादक समिति का, प्रतिनिधित्व किया जाना हो, वहां ऐसी समिति का प्रतिनिधित्व उसके सभापति द्वारा किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन प्रतिनिधि की अर्हताएं पूरी करता हो।

10–निर्वाचन का स्थगन/रोका जाना, एवं पुनः प्रारम्भ किय जाना

1– **किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर–**

नियम–16–यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम–39 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो. मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और प्राधिकरण को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगे, किन्तु उस व्यक्ति के लिये जो मतदान स्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित कर दिये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात् नामांकन दाखिल किये जाने के लिये अर्ह न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात उस दिनांक को होगा जो प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाये।

2– **विशेष परिस्थितियों में–**

नियम–17 समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम–16 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी।

परन्तु यह कि यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाये या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना संभव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिये नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और प्राधिकरण को दी जायेगी जिस पर प्राधिकरण निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा।

परन्तु यह और कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का कमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात ही निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जायेगी।

3– **स्थगित निर्वाचन कब कराया जायेगा और किस स्तर से प्रारम्भ कर प्रकिया पूर्ण की जाएगी**

नियम–18 यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रकम से, जहां पर उसे रोका गया था या उससे पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से, जैसा कि प्राधिकरण विनिश्चय करे, प्रारम्भ की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि नामांकन के पश्चात वैध नाम–निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो प्राधिकरण नियत करे।

परन्तु यह और कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन नियमावली के नियम 441 के अधीन स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन की समस्त प्रकिया नये सिरे से उस तिथि से प्रारम्भ की जायेगी जो प्राधिकरण द्वारा नियत की जाये।

11– निर्वाचन हेतु आचार संहिता एवं प्रभाव

नियम–59 सहकारी समितियों के निर्वाचन नियम रीति एवं निष्पक्ष रुप से कराये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा सहकारी निर्वाचन आचार संहिता प्रख्यापित की जा सकती है, जो किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों हेतु निर्वाचन दिनांक अधिसूचित होने की तिथि से प्राधिकरण द्वारा नियत किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों या प्राधिकारी या प्राधिकारियों पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगी।

12–अधिकारी एवं कार्मचारी पर नियन्त्रण

नियम–60 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अधिकारी/कर्मचारी प्राधिकरण के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन होंगे।

13–प्राधिकरण का विनिश्चय

नियम–61 इस नियमावली में निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्राविधान के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

14–प्राधिकरण के दिशा–निर्देश लागू होना

नियम–62 सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कोई विषय जिसके सम्बन्ध में नियमों में कोई स्पष्ट प्राविधान उल्लिखित न हो तो ऐसे में प्राधिकरण के दिशा–निर्देश लागू होंगे।

15—निर्वाचन वाद

(1) सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में क्षुब्ध पक्षकारों को निर्वाचन वाद प्रस्तुत किये जाने का विकल्प उत्तराखण्ड सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम–50 में उल्लिखित है।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुये भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये लेखाशीर्षक में निम्नवत शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी–

क–	प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति में	रू0 1000.00 (एक हजार)
ख–	जनपद/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में	रू0 2000.00 (दो हजार)
ग–	राज्य स्तरीय / शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में	रू0 5000.00 (पांच हजार)

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

लेखाशीर्षकः जिसमें शुल्क जमा करना है।

0425 – सहकारिता

800 – अन्य प्राप्तियों

06 – अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Articles 348 of 'The Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 980/XTV-1/2018-07(04)/2016, dated July 20, 2018 for general information:

No. 980/XTV-1/2018-07(04)/2016
Dated Dehradun, July 20, 2018

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by section 128 of Uttarakhand Cooperative society Act, 2003 (Uttarakhand Act No. 05 of 2013) Governer is pleased to make the following further amendment in **'The Uttarakhand State Cooperative Societies Election Rules, 2018'**

The Uttarakhand State Cooperative Societies Election (Amendment) Rules, 2018

Short title and commencement: Uttarakhand 1- (1) These Rules may be called"The UttarakhandStateCooperative Societies Election (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

Amendment in Rule 28(2) 2- Rule-28(2) Omitted from Uttarakhand State Cooperative Societies Election Rules, 2018

Column-1 Present Rule	Column-2 Amended Rule
Reservation of Constituency Rule-28(2) One for the Other Backward Classes of the citizen.	**Reservation of Constituency Rule-28(2)** Omitted.

By Order,

R. MEENAKASHI SUNDARAM,

Secretary.

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग–1

अधिसूचना

11 फरवरी, 2019 ई०

संख्या 1370/**XIV**–1/2019–07 (1) 2012–राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05. वर्ष 2003) की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 442 में स्पष्टीकरण का अन्तःस्थापन — 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम–442 में एक स्पष्टीकरण निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

स्पष्टीकरण– "जहाँ किसी चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता हो और वही उम्मीदवार हो अथवा जितने उम्मीदवार हों, उनके लिए उतने प्रस्तावक एवं समर्थक उपलब्ध ही न हो, तो नामांकन पत्र इस आधार पर अवैध नहीं माने जायेंगे कि उम्मीदवार के प्रस्तावक व समर्थक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वह स्वयं का प्रस्तावक एवं समर्थक समझा जायेगा।"

आज्ञा से,
आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव ।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 09–03–2019, भाग 1 में प्रकाशित।
ख प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—
पी०एस०यू० (आर०ई०) 01/गन्ना/192–04–04–2019–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मतदान हेतु निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का विवरण

1– जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्याके बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नाम वापसी के पश्चात तत्काल उसी दिनांक को निर्विरोध निर्वाचन परिणाम घोषित कर देगा।

यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने व्यक्ति निर्वाचित होने हैं, उससे अधिक वैध नामांकन प्रपत्र प्राप्त होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी, मतदान की व्यवस्था करेगा।

2– मतदान कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के तुरन्त बाद निर्वाचन क्षेत्रवार प्रत्याशियों एवं उनको आवंटित चुनाव चिन्ह तथा उस क्षेत्र में अर्ह मतदाताओं की संख्या का विवरण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे तथा निर्धारित संख्या में मतपत्र, चुनौती फार्म, मतपत्र लेखा फार्म, टेण्डरफार्म, क्रास सील एवं ब्रास सील के साथ निम्नलिखित सामग्री प्राप्त करेंगेः–

क्रमांक	सामग्री का विवरण	मात्रा
1	इंक पैड (स्याही सहित)	01 नग
2	थ्रेड बाल	01 गोला
3	सफेद कागज ए4	10 शीट
4	बादामी अथवा बांसी कागज बड़ा	02 शीट
5	मोमबत्ती	02 नग
6	लाख	02 सलाखें
7	गोंद	एक छोटी शीशी
8	दफ्ती के छोटे टुकडे	08 नग
9	पतले तार	6
10	सूजा	01 नग
11	सुतली	एक लच्छी (औसतन 100 ग्राम)
12	काली एवं लाल पेंसिल	एक–एक नग
13	नीला एवं काला बॉल पेन	दो–दो नग
14	लिफाफे बड़े एवं छोटे	06–06 नग
15	बैलेट बॉक्स	जितने मतदान हेतु आवश्यक हों

विशेषः–

1– उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी स्थानीय स्तर पर क्रय करके उसकी पूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

2– मतपत्र एवं मुद्रित सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करके समय से प्राधिकरण को संसूचित करते हुए जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त मतपत्र एवं मुद्रित सामग्री यथासमय प्राधिकरण से प्राप्त कर सम्बन्धितं निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

3– यह सुनिश्चित करना जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि किसी सामग्री अथवा मतपत्र आदि की कमी के कारण निर्वाचन कार्य बाधित न होने पाए।

4– मतपत्रों पर प्रत्याशियों का नाम लिखवाने का दायित्व निर्वाचन अधिकारियों का होगा।

परिशिष्ट–1

सहकारी समितियो के निर्वाचन सम्पन्न करने के सम्बन्ध में मुख्य चौक प्वाइंट्स

क:– निर्वाचन के पूर्व :–

(1) क्या सहकारी समितियों, जिनके कि निर्वाचन कराये जाने है, से सम्बन्धित सूचना समस्त सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी है?

(2) क्या जिन सहकारी समितियों के निर्वाचन होने है, के निर्वाचन कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निर्वाचन शुल्क समिति द्वारा प्राधिकरण के परिशिष्ट–2 अनुसार प्राधिकरण के नियत खाते में जमा कर लिया गया है?

(3) क्या सहकारी समिति नियमावली 2003 के नियम 79 के प्राविधानों के अनुसार यह निर्णय लिया जा चुका है कि किन सहकारी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पूर्व सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन आवश्यक है और उसके अवधारण की तैयारी की जा चुकी है?

(4) क्या जिन समितियो के निर्वाचन कराये जाने हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम प्रकाशन कर, उस पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये अंतिम क्षेत्र अवधारण का प्रकाशन किया जा चुका है? (क्या निर्वाचन नियमावली 2018 यथा संशोधित 2024 के नियम 28 के अधीन आरक्षण का निर्धारण कर लिया गया है।

(5) क्या जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन योग्य प्रत्येक सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है?

(6) क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर पोलिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है?

(7) क्या उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 31 के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचित कार्यक्रम स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर लिया गया है?

(8) क्या समिति के सचिव/ प्रबन्ध निदेशक द्वारा समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व नियम 33 के अनुसार समिति के सूचना पट एवं सम्बन्धित विकास खण्ड/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शित कर ली गयी है?

(9) क्या सहकारी समिति के सचिव/ प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियम 12 एवं 34 के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर ली गयी है, जो यथा समय निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जा सके?

(10) क्या मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्री प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त कर ली गयी है?

(11) क्या निर्वाचन अधिकारियो को दी जाने वाली समस्त निर्वाचन सामग्री की सूचीवार उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है?

(12) क्या मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्री का वितरण का कर्यक्रम निश्चित कर लिया गया है?

(13) क्या निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं उसकी तैयारी की तिथि निश्चित कर ली गयी है अथवा प्रशिक्षण कराया जा चुका है?

(14) क्या प्रारम्भिक सहकारी समितियों से उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 81 के अनुसार अन्य सहकारी समितियों/केन्द्रीय शीर्ष सहकारी समितियों के लिये निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है?

(15) क्या निर्वाचन कार्य स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये अवलोकन/निरीक्षण किया जा चुका है?

(16) क्या जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन स्थल पर की जा चुकी है?

(17) क्या मतदान एवं मतगणना के सम्बन्ध में समस्त व्यवस्था की जा चुकी है?

खः—निर्वाचन के पश्चातः—

(1) क्या समस्त विभागों के निर्वाचन योग्य ऐसी सहकारी समितियों, जो परिसमापन के अधीन नहीं हैं के निर्वाचन, निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि पर सम्पन्न हो गये हैं?

(2) क्या निर्वाचन के उपरान्त मतपत्र एवं अन्य अभिलेख सील करके समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा दिये गये है?

(3) क्या किसी सहकारी समिति की निर्वाचन प्रक्रिया किन्हीं कारणों से अवरूद्ध हाने के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है, और उसके कारणों की समीक्षा की जा चुकी है?

(4) क्या जनपद की समस्त सहकारी समितियों, जिनके निर्वाचन हों चुके है, के विवरण प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है?

(5) क्या कोई ऐसी सहकारी समिति, जिसके निर्वाचन किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में सम्पन्न नहीं हो सके हैं अथवा अवशेष है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों से प्राधिकरण को अवगत कराते हुये अलग से निर्वाचन तिथि निर्धारित की जाने का अनुरोध किया जा चुका है?

(6) क्या सभी समितियों के चुनाव परिणाम निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त हो गये है तथा उन्हे पत्रावली में इंडेक्स सहित लगा लिया गया है?

(7) क्या निर्वाचन रजिस्टर में चुनाव परिणाम समितिवार अंकित कर लिये गये है?

(8) क्या सभी निर्वाचन अधिकारियों ने रसीद बुक वापिस कर दी है एवं प्राप्त समस्त धनराशि प्राधिकरण के नियत खाते में जमा कर दी है?

(9) क्या जिन निर्वाचन अधिकारियों ने रसीद बुक वापिस नहीं की है या प्राप्त समस्त धनराशि जमा नहीं की है के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट / जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा उनके सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है?

(10) क्या अवशेष मतपत्र एवं अवशेष अन्य निर्वाचन सामग्री का विवरण तैयार कर उसे आगामी प्रयोग हेतु सुरक्षित रखा जा चुका है?

(11) क्या जनपद में खोले गये प्राधिकरण के निर्वाचन खाते में उपलब्ध धनराशि का सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरण को प्रेषित किया जा चुका है?

परिशिष्ट–2

सहकारी समितियों के निर्वाचन की शुल्क का निर्धारण

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली–2018 के नियम 58 (क) में व्यवस्था है कि, किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जायेगा, और यह धनराशि उस समिति जिसका निर्वाचन किया जाना है की निधि से देय होगी।

उपर्युक्त विधिक प्राविधानों के अधीन प्रदेश की समस्त प्रकार की सहकारी समितियों हेतु अधोलिखित विवरणानुसार निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण किया जाता है:–

1–	सहकारिता विभाग की समस्त प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियों, सहकारी संघ (ब्लाक यूनियन), कय विक्रय सहकारी समितियों एवं अन्य प्रारम्भिक समितियों, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विभाग, रेशम विभाग, आवास विभाग एवं पशुपालन विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों से–	रू० 1000.00 प्रति समिति
2–	परन्तु उपरोक्त समितियां जिनमें सामान्य निकाय का गठन भी किया जाना है से–	रू० 5000.00 प्रति समिति
3–	गन्ना विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों से–	रू० 5000.00 प्रति समिति
4–	सहकारिता विभाग के केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला सहकारी संघ एवं सहकारिता के साथ–साथ अन्य समस्त विभागो की अन्य केन्द्रीय समितियों से–	रू० 5000.00 प्रति समिति
5–	केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक एवं बैंकिग व्यवसाय करने वाले अन्य सहकारी समितियों से–	रू0 25000.00 प्रति समिति
6–	उत्तराखण्ड को ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लि० से–	रू0 75000.00 प्रति समिति
7–	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०	रू0 75000.00 प्रति समिति
8–	उत्तराखण्ड सहकारी आवास संघ लि० से	रू0 75000.00 प्रति समिति
9–	डेयरी फैडरेशन से	रू0 75000.00 प्रति समिति
10–	अन्य शीर्ष सहकारी समितियों से	रू0 50000.00 प्रति समिति
11–	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० से	रू0 75000.00 प्रति समिति
12–	उत्तराखण्ड प्रादेशिक सहकारी यूनियन लि० से	रू0 75000.00 प्रति समिति

उक्त निर्वाचन शुल्क सम्बन्धित समिति द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. की देहरादून शाखा में खुले खाते सं० 000235003100002 में जमा कराई जायेगी ततपश्चात् ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

खाता संख्या 000235003100002

आई.एफ.एस.सी. कोड ICIC00USCBD

परिशिष्ट–3

मतदान हेतु पहचान पत्र आई.डी. की मान्यता

उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाने के पूर्व अधोलिखित निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक से निर्वाचन अधिकारी को उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 43 (14) के अधीन अपने पहचान के सम्बन्ध में संतुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा–

1– भारत निर्वाचन आयोग के मतदान पहचान पत्र
2– ड्राइविंग लाईसंस
3– पैन कार्ड
4– बैंक पासबुक
5– आधार कार्ड
6– राशन कार्ड
7– किसान जोत बही
8– पासपोर्ट
9– मनरेगा जॉब कार्ड
10– समिति द्वारा निर्गत फोटो युक्त पासपोर्ट
11– किसी शासकीय कार्यालय/निगम/उपक्रम संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र।

परिशिष्ट–4

निर्वाचन हेतु निर्धारित चुनाव चिन्ह

राज्य की समस्त सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के उत्तराखण्ड राज्य सहकारी निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 40 (10) में प्रदत्त शक्ति के अधीन सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा अधोलिखित चुनाव चिह्न प्रयोग किये जाने हेतु अनुमोदित किये जाते हैः–

1– शेर
2– कार
3– घोड़ा
4– छाता
5– कलम–दवात
6– सारस
7– ऊँट
8– तीर कमान
9– दो पत्तियाँ
10– रेडियो
11– ताला
12– कलश
13– उगता सूरज
14– तारा
15– गमला
16– तराजू
17– रेल का इंजन
18– घड़ी
19– मछली
20– गुलाब का फूल
21– ट्रैक्टर
22– मुर्गा

उक्त का ही प्रयोग निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जायेगा

उपर्युक्त चुनाव चिन्हों का प्रयोग निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा–

1– उपर्युक्त चुनाव चिन्हों को प्रत्याशियों के नामों के हिन्दी वर्णमाला क्रम में क्रमवार आबंटित किया जायेगा।

2– यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में चुनाव चिन्हों का आवंटन नाम के अगले अक्षर द्वारा आवंटित किया जायेगा।